कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: एचआरएम-I/पी-141(19)2026/एपीएफसी/ई-1221725/1043 दिनांक: 10/04/2026

कार्यालय आदेश

विषय: पैनल वर्ष 2026 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

दिनांक 22.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पैनल वर्ष 2026 के लिए तदर्थ आधार पर निम्नलिखित नियमित प्र.अ/ले.अ की नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं: -

क्रम.सं.	रैंक (दिनांक 30.08.2023 की वरिष्ठता सूची के अनुसार)	नाम-श्री/श्रीमती/कुमारी	ईआईडी
1.	553	शिवकुमार पी (प्र.अ/ले.अ)	एसपी210667038280492

2. अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उपर्युक्त अधिकारी का सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्ति आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति तदर्थ आधार पर होगी, जब तक कि सीलबंद लिफाफे के मामलों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जातीं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी को, जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है तथा अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में, यदि कोई हो प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।

4. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे अधिकारी को न तो नियमित आधार पर पदोन्नति का दावा करने का अधिकार मिलेगा, न ही वरिष्ठता का।

5. तदर्थ आधार पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में अधिकारी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा एच आर एम, मुख्यालय को rcl.hrm@epfindia.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी।

9/4/26

6 . दिनांक 12.04.2022 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 36012/16/2019 - एसटेट (रेस) के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन तत्काल पदोन्नति आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जरनैल सिंह बैच के मामलों के परिणाम के अधीन है और जारी किया गया कोई भी पदोन्नति आदेश उक्त बैच के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-I)

सेवा में,

1. सभी संबंधित अधिकारी

(संबंधित आंचलिक कार्यालय के माध्यम से)

प्रतिलिपि:(क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
2. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/सभी अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर कें.भ.नि.आ।
4. क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय सहित सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त-I एवं क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) ।
5. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
6. सभी उप निदेशक (सतर्कता) / आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
7. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल।
8. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (एचआरएम-I)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: एचआरएम-I/पी-141(19)2026/एपीएफसी/ई-1221725/1042 दिनांक: 10/04/2026

कार्यालय आदेश

विषय: पैनल वर्ष 2026 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

दिनांक 22.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पैनल वर्ष 2026 के लिए नियमित आधार पर निम्नलिखित प्र.अ/ले.अ की नियुक्ति को अनुमोदित करते हैं: -

क्रम.सं.	रैंक (दिनांक 30.08.2023 की वरिष्ठता सूची के अनुसार)	नाम-श्री/श्रीमती/कुमारी	ईआईडी
2.	552	एम कविता (प्र.अ/ले.अ)	केडी240776047270798

2. अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उपर्युक्त अधिकारी का सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्ति आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. अधिकारी की वरिष्ठता ईपीएफ स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार सहायक भविष्य निधि आयुक्त के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

4. सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा एचआरएम, मुख्यालय, को rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एच आर -सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

5. दिनांक 12.04.2022 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 36012/16/2019 - एसटेट(रेस) के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन तत्काल पदोन्नति आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जरनैल सिंह बैच के मामलों के परिणाम के अधीन है और जारी किया गया कोई भी पदोन्नति आदेश उक्त बैच के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (एचआरएम-I)

सेवा में,

1. सभी संबंधित अधिकारी

(संबंधित आंचलिक कार्यालय के माध्यम से)

प्रतिलिपि:(क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
2. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/सभी अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर कें.भ.नि.आ।
4. क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय सहित सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त-I एवं क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) ।
5. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
6. सभी उप निदेशक (सतर्कता) / आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
7. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल।
8. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।

शारिक

(मौहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (एचआरएम-I)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: एचआरएम-I/पी-141(19)2026/एपीएफसी/ई-1221725/1041 **दिनांक: 10/04/2026**

कार्यालय आदेश

विषय: पैनल वर्ष 2026 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

दिनांक 22.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पैनल वर्ष 2026 के लिए नियमित आधार पर निम्नलिखित तदर्थ सहायक भविष्य निधि आयुक्त की नियुक्ति को अनुमोदित करते हैं: -

क्रम.सं.	रैंक (दिनांक 30.08.2023 के वरिष्ठता सूची के अनुसार)	नाम-श्री/श्रीमती/कुमारी	ईआईडी
1.	547	निर्मल कुमार बर्मन (तदर्थ सहायक भविष्य निधि आयुक्त)	एनके020966091090497

2. अधिकारी वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति होती है। तो विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य है, एवं ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर प्रयोग किया जाएगा।

4. अधिकारी की वरिष्ठता ईपीएफ स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार सहायक भविष्य निधि आयुक्त के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

5. सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, एचआरएम, मुख्यालय, को rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एच आर -सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

6. दिनांक 12.04.2022 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 36012/16/2019 -एसटेट(रेस) के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन तत्काल पदोन्नति आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जरनैल सिंह बैच के मामलों के परिणाम के अधीन है और जारी किया गया

कोई भी पदोन्नति आदेश उक्त बैच के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

शारिक़

(मौहम्मद शारिक़)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (एचआरएम-I)

सेवा में,

1. सभी संबंधित अधिकारी
(संबंधित आंचलिक कार्यालय के माध्यम से)

प्रतिलिपि:(संबंधित क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
2. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/सभी अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर कें.भ.नि.आ।
4. क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय सहित सभी क्षे.भ.नि.आयुक्त-I एवं क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) ।
5. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
6. सभी उप निदेशक (सतर्कता) / आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
7. संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फाइल।
8. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।

शारिक़

(मौहम्मद शारिक़)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I (एचआरएम-I)